




राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांक एफ.2()परावि/प्रशा.1/RRDS को प्रतिनियुक्ति/संस्था/2013/2542 जयपुर,दिनांक:- 21/8/18

—: आदेश :-


श्री ताराचन्द, RRDS, हाल विकास अधिकारी पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाडा की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर जिला परियोजना प्रबन्धक के पद पर पदस्थापित करने हेतु निम्न शर्तों के अध्यक्षीन सौंपी जाकर श्री ताराचन्द को कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी उपस्थिति मिशन निदेशक, राजस्थान राज्य आजीविका विकास परिषद को प्रस्तुत करेंगे:-

1. विभाग को आवश्यकता होने पर प्रतिनियुक्ति कभी भी समाप्त की जा सकेगी।
2. विभाग में पुनः लौटने पर मूल पद के वेतनमान/भत्ते नियमानुसार देय होंगें।
3. विभागीय नियुक्ति आदेश (जिसके द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को नियुक्ति दी गयी है) में उल्लेखित शर्तें यथावत रहेंगी।
4. यह प्रतिनियुक्ति वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ 1(47)वित्त/ग्रुप-2/82 दिनांक 22.2.86 (समय समय पर यथासंशोधित) में वर्णित शर्तों के अधीन रहेगी।
5. यह प्रतिनियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये है, जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
6. प्रतिनियुक्ति पर सेवायें लेने वाला विभाग इस सम्बन्ध में नियमानुसार अन्य विभागों यथा महालेखाकार इत्यादि को स्वयं के स्तर से सूचना प्रेषित करेंगे।


(दिनेश कुमार जांगिड)
संयुक्त शासन सचिव(प्रशा-1)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपंरा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपंरा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपंरा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. मिशन निदेशक, राजस्थान राज्य आजीविका विकास परिषद, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा।
7. विकास अधिकारी पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाडा।
8. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
9. श्री ताराचन्द, RRDS, हाल विकास अधिकारी पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाडा को पालनार्थ।
10. निजी पत्रावली/आदेश पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव (प्रशा-1)